संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण व दीव प्रशासन

सिलवासा नगरपालिका परिषद्

अधिसूचना

No. DNH/SMC/ADM/GNL/41/2019/CO SMC/4060 सिलवासा दि.18/8/2020

उप-विधि

दादरा नगर हवेली नगर परिषद् विनियम, 2004 की धारा 306 के साथ धारा 301 की उप-धारा(1) और (2) द्धारा प्रदत्त प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए सिलवासा नगर परिषद् द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित उप-विधि बनाते हैं :-

1. लघु शीर्षक, सीमा प्रारंभ और आवेदन -

i. ये उप विधि सिलवासा नगर परिषद् (सेवाओं की समय सीमा डिलवरी हेतु नागरिक अधिकार) उप-विधि,2020 कहलायेंगे |

ii. ये सिलवासा नगरपालिका परिषद क्षेत्र का विस्तार करेंगे।

iii. ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ: - इस उप विधि में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i. "आवेदक" का आशय आवश्यक दस्तावेजों और इससे संबंधित शुल्कों के भुगतान के साथ उचित आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से है जिसे सिलवासा नगर परिषद् के संबंधित विभागों द्द्वारा नियत किया जाएगा |

ii. "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ है निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।

iii. "नागरिक संबंधित सेवाएं" अनुसूची में निर्दिष्ट सेवाओं के रूप में शामिल हैं।

iv. "सक्षम अधिकारी" का अर्थ है मुख्य अधिकारी, सिलवासा नगर परिषद् |

v. "काउंसिल" का अर्थ है सिलवासा नगर परिषद् |

vi. "विभाग" का अर्थ है सिलवासा नगर परिषद् की एक विंग, जिसमें प्रशासनिक विंग, इंजीनियरिंग विंग, स्वच्छता विंग, एकाउन्ट विंग या शिक्षा विंग या भविष्य में इस उप-विधि के उद्देश्य के लिए पहचान की गई कोई अन्य विंग से है।

vii. ' डीलिंग हैंड" काउंसिल का वह कर्मचारी है जो किसी भी सेवा वितरण को शुरू करने के लिए उत्तरदायी है।

viii. "परिषद् के कर्मचारी " से तात्पर्य दादरा एवं नगर हवेली नगर परिषद् विनियम,2004 की धारा-2 खंड 35, जिसे दादरा एवं नगर हवेली नगरपालिका परिषद्(संशोधन) विनियम ,2018 द्धारा संशोधित किया गया है, इसके अंतर्गत 'परिषद् के अधिकारी या कर्मचारी " से है और जिसमें परिषद् में डाइवर्टिड केपेसिटी में कार्यरत कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सम्मिलित है और जिसमें दैनिक वेतन, अनुबंध या नियमित सभी सम्मिलित कर्मचारी सम्मिलित हैं |

ix. "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

x. "सेवा वितरण" का अर्थ है किसी भी प्रमाण पत्र, रसीद, लाइसेंस, सेवाओं से संबंधित आदेश, सूचना का अधिकार, आरटीआई के तहत सूचना, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुमति, या सेवा का कोई अन्य प्रमाण, अभिलेखों में नाम परिवर्तन, और पानी कनेक्शन जैसी किसी भी भौतिक सेवा का वितरण। सीवरेज कनेक्शन, डस्टबिन की तैनाती, किसी भी सड़क की मरम्मत या सिलवासा की संपत्ति का रखरखाव करना और अन्य सेवाएँ यथा निर्धारित दादरा एवं नगर हवेली नगरपालिका परिषद विनियमन 2004, नियमों और उपविधि को बनाया गया है जो या जो सिलवासा नगरपालिका परिषद के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत या किसी शासनिक, संविदात्मक या कानूनी बाध्यताओं के तहत प्रदान करने के लिए बाध्य है, लेकिन अवैध निर्माण पर प्रवर्तन शामिल नहीं करेगा, कोर्ट के उत्तर, कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई या इस तरह के अन्य मामले को इस प्रभाव के लिए एक साधारण बहुमत द्वारा सिलवासा नगरपालिका परिषद द्वारा हल किया जा सकता है |

xi. “सेवा प्रबंधन प्रणाली “का अर्थ सेवाओं के समयबद्ध वितरण, ट्रेकिंग और ऐसे आवेदनों की स्थिति की निगरानी के लिए आवेदन की स्थिति की जांच के उद्देश्य से बनाया गया एक समर्पित पोर्टल है |

3. सेवाओं का समयबद्ध वितरण प्राप्त करने के लिए नागरिक का अधिकार प्रत्येक नागरिक को अनुसूचित में निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस उप-विधि के अनुसार सिलवासा नगरपालिका परिषद में नागरिक सबंधित सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार होगा |

बशर्ते कि सिलवासा नगरपालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समय-समय पर संशोधन और पुनरीक्षण करने का हकदार होगा |

आगे बशर्ते कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव लागू होने से पहले निर्देशक, नगर पालिका प्रशासन के समकक्ष रखा जाएगा, जो इस तरह के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या ऐसे संशोधनों के साथ इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है या खारिज कर सकता है जैसा उचित समझें |

आगे बशर्ते कि अनुमोदन के बाद ऐसा कोई भी प्रस्ताव कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए और उसे परिषद के नोटिस बोर्ड और परिषद की वेबसाइट पर भी रखा जाये |

आगे बशर्ते कि इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उक्त आवेदन करना होगा जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, जैसा कि इस उप विधि द्वारा अपेक्षित है |

4. आवेदन प्रस्तुतीकरण:

i. इस उप विधि के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर परिषद का प्रत्येक विभाग द्वारा दिये गए सेवा की सूची,प्रपत्र जिसमें आवेदन किया जाएगा, इसके लिए अपेक्षित शुल्क तथा उक्त दस्तावेजो की सूची, जिन्हें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने की आवश्यकता है, को परिषद की वेबसाइटऔर नोटिस बोर्ड पर अपडेट करेगा |

ii प्रत्येक विभाग नई सेवाओं के सृजित किए जाने या ढूँढे जाने या प्रत्यायोजित किए जाने के एक सप्ताह के भीतर सेवा की सूची,प्रपत्र जिसमें आवेदन किया जाएगा, इसके लिए अपेक्षित

शुल्क तथा उक्त दस्तावेजो की सूची, जिन्हें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने की आवश्यकता है, को परिषद की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर अपडेट करेगा |

iii जब कोई विभाग किसी भी सेवा की घोषणा करता है या उसकी पहचान करता है या हटाता है तो उसे वर्तमान उप विधि की अनुसूचीमें शामिल किया अथवा हटाया जाएगा तथा वर्तमान उप विधि की अनुसूची को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा | ऐसा कोई भी समावेश या निरसन को दो स्थानीय समाचार पत्रों में विधिवत प्रकाशित किया जाएगा और परिषद के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर डाला जाएगा | बशर्ते कि परिषद की मंजूरी के बिना कोई सेवा नहीं हटाई जाएगी |

iv किसी आवेदक द्वारा स्व-सत्यापन सभी आवेदनों के लिए मान्य होगा और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हलफनामा या सत्यापन तब तक नियत नहीं किया जाएगा जब तक परिषद के सामान निकाय द्वारा इसे हल नहीं किया जाता है |

v. ऑनलाइन किए गए किसी भी आवेदन और ऑनलाइन अपडेट किए गए दस्तावेजों को पर्याप्त माना जाएगा, और किसी व्यक्ति को किसी भी सेवा के लिए परिषद में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि कोई भी कानून, निर्णय, आदेश, किसी भी उच्च प्राधिकरण के आदेश का प्रशासनिक अनुपालन या परिषद का कोई भी संकल्प ऐसा करना अनिर्वाय बनाता है |

vi परिषद के सभी विभाग किसी भी प्रमाण पत्र, रसीद, लाइसेंस, सेवाओं से संबंधित आदेश, आरटीआई के तहत सूचना, अनापति प्रमाण पत्र, अनुमति अथवा सेवा के किसी अन्य प्रमाण या सेवा से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज को ऑनलाइन माध्यम, ईमेल, स्पीड पोस्ट या संचार के किसी भी प्रभावशाली माध्यम से आवेदक के डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए कर्तव्यब्द्ध है |

vii किसी भी सेवा के वितरण के लिए परिषद में किसी भी आवेदक को मौजूद नहीं रखा जाएगा |

viii जब भी यह सवाल उठता है कि कोई अधिनियम सेवा है या नहीं, तो इसे अध्यक्ष, सिलवासा नगरपालिका परिषद को निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा |

ix किसी भी उप उपविधि (i), (ii), (iii), (iv), तथा (vi) के उल्लघंन के लिए मुख्य अधिकारी के आदेश पर उक्त परिषद के संबंधित विभाग के प्रमुख प्रति उल्लघंन ऐसी लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी तभी होंगे जो रु. 1000/- से अधिक नहीं होगा, यदि उक्त उल्ल्धंन का पता मुख्य अधिकारी को चलता है, या मुख्य अधिकारी परिषद के संकल्प या निदेशक प्रशासन के आदेश पर प्रति उल्ल्धंन रु. 5000/- का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई होंगे, यदि उल्लघंन का पता परिषद या निदेशक, परिषद प्रशासन को चलता है |

x. प्रत्येक आवेदक को सेवा प्राप्त करने हेतु समय-समय पर संशोधित अनुसूची के अनुसार परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार विधिवत संलग्न आवश्यक दस्तावेजों तथा इसके अपेक्षित शुल्क, यदि हो, के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा | आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर आवेदन की पावती तथा अप्रेषित जांच पत्र डाक, निजी माध्यम से भेजना पर्याप्त प्रमाण होगा कि आवेदन विधिवत जमा किया गया था और सभी प्रकार से पूर्ण था |

5. निर्धारित अवधि के भीतर सेवाओं को वितरित करने के लिए परिषद के कर्मचारियों की देयता:- परिषद के प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची में निर्धारित समय के भीतर नियत समय में निर्दिष्ट नागरिक संबंधित सेवाओं को वितरित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे |

6. आवेदन की स्थिति की निगरानी :-

i किसी भी नागरिक संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक नागरिक को संबंधित विभाग द्वारा एक आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी और यथा निर्धारित ऐसी प्रक्रिया के अनुसार वह नगरपालिका परिषद द्वारा ऐसे सिस्टम को उपलब्ध कराने के बाद इस ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को प्राप्त करने और जांच करने हेतु हकदार होगा |

ii संबंधित विभाग और सिलवासा नगपालिका परिषद में कार्यरत कर्मचारी नागरिक संबंधित सेवाओं को नियंत्रित करने वाले सभी अनुप्रयोगों की स्थिति को ऑनलाइन बनाए रखेंगे और इस संबंध में इन उप-विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही स्थिति को अद्यतन करने के लिए बाध्य होंगे |

7. <u>लागत का भुगतान करने का दायित्व :-</u> अनुसूची में नियत अनुसार निर्धारित समय के भीतर नागरिक को नागरिक संबंधी सेवाएं देने में विफल नगर परिषद् का प्रत्येक कर्मचारी प्रति आवेदन अनुसूची में यथा निर्धारित अधिकतम राशि के संबंध में विलंब अवधि के लिए अनुसूची में दिए गए दरों के अनुसार लागत के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा | कर्मचारी से वसूल की जानेवाली ऐसी लागत का आधे भाग के क्षतिपूर्त लगत के अनुसार नागरिक को परिषद द्धारा अदायगी की जाएगी |

8. <u>नागरिक को प्रतिपूर्ति लागत का भुगतान :-</u>

i) नागरिक संबंधी सेवाओं के वितरण के समय ऐसी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाला नागरिक अनुसूची में निर्धारित अवधि से अलग ऐसी सेवाओं के वितरण में विलम्ब के मामले में इस उप-विधि के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्त लागत लेने का हकदार होगा |

ii) नागरिक द्धारा क्षतिपूर्ति लागत की ऐसी मांग पर संबंधित विभाग द्दारा यथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार पावती और रसीद के विरुद्ध नागरिक को ऐसी लागत की अदायगी करना मुख्य अधिकारी का कर्तव्य होगा |

iii) नागरिक को लागतों का भुगतान करने में देरी नहीं की जाएगी क्योंकि देरी करने के लिए कारणों की जांच लंबित है | क्षतिपूर्ति की अदायगी देरी के कारणों से मुक्त है |

9. <u>मुख्य अधिकारी के अधिकार :-</u>

मुख्य अधिकारी को इस उप-विधि के अनुसार सेवाओं के वितरण में देरी करने पर परिषद के कर्मचारी के खिलाफ लागत आरोपित करने का अधिकार होगा |

10. <u>दायित्व के निर्धारण की कार्यविधि :-</u>

i. इस तरह की प्रतिपूरक लागत के भुगतान के पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर मुख्य अधिकारी या उनके द्दारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रारंभिक जांच के बाद परिषद् के उस कर्मचारी के खिलाफ

नोटिस जारी करेगा जो उसको कॉल करते हुए कि क्षतिपूर्ति लागत उससे क्यों नहीं वसूली गई, इस तरह की नागरिक संबंधी सेवाओं के वितरण के देरी के लिए जिम्मेदार पाया जाता है |

ii. परिषद का कर्मचारी जिसके खिलाफ ऐसी नोटिस जारी की जाती है, वह इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व कर सकता है और ऐसे नोटिस के खिलाफ कारण बता सकता है। मुख्य अधिकारी या सक्षम अधिकारी जैसा भी मामला हो, इस तरह के स्पष्टीकरण से गुजरने के बाद या किसी भी स्पष्टीकरण या प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं होने के मामले में निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे कर्मचारी के खिलाफ डेबिट नोट के एक संक्षिप्त आदेश निर्देश जारी करेगा, परिषद या तो डेबिट नोट में निर्धारित लागत को 7 दिनों की अवधि के भीतर जमा कर सकती है या वैकल्पिक आदेश में संबंधित लेखा अधिकारी को डेबिट नोट में उल्लिखित राशि के लिए परिषद के ऐसे कर्मचारी के वेतन से संबंधित निर्देश दे सकती है।

बशर्ते कि अगर सक्षम अधिकारी परिषद के ऐसे कर्मचारी के पक्ष में उचित और न्यायसंगत आधार पाता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नागरिक को सेवाओं के वितरण में देरी उसके लिए जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन परिषद के किसी अन्य कर्मचारी के लिए जिम्मेदार थी , यह सक्षम अधिकारी को उसके खिलाफ नोटिस वापस लेने और परिषद के ऐसे अन्य कर्मचारी को “कारण बताओ नोटिस “ जारी करने के लिए वैध होगा, जो देरी के लिए जिम्मेदार पाया गया था और इस उपविधि के उप-उपविधि और उप-उपविधि (1) में यथोचित परिवर्तनों सहित निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा |

बशर्ते कि अगर मुख्य अधिकारी या सक्षम अधिकारी ने पहले परिषद के एक या एक से अधिक कर्मचारी को नोटिस / ज्यादा नोटिस जारी किये हों, लेकिन पूछताछ के बाद संतुष्ट हो कि परिषद का एक या एक से अधिक कर्मचारी दोषी नहीं हैं, तो वह परिषद (एस) के ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस को वापस लेगा, जिसके खिलाफ सक्षम अधिकारी संतुष्ट है कि किसी भी प्रकार की देरी करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

बशर्ते आगे कि पहले से ही सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए प्रत्येक परिभाषित चरण/चरणों के लिए परिषद के संबंधित कर्मचारी की समय-सीमा के साथ कार्य-प्रवाह परिषद के किसी भी विंग के अधिकारियों के लिए कानूनन उचित होगा |

iii. इस उपविधि के तहत देयता को नियत करते समय सक्षम अधिकारी उस संबंध में आदेश पारित करने से पहले नैसर्गित न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।

11. <u>अपील करने का अधिकार -</u> सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश से नाराज परिषद के किसी भी कर्मचारी या क्षतिपूर्ति लागत देने से इन्कार करने से नाराज किसी भी नागरिक को इस तरह के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर करने का अधिकार होगा जो लगाए गए आदेश की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि से अधिक नहीं होगा या समयावधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर लागत का भुगतान किया जाना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12. <u>निश्चित अवधि के भीतर सेवाएं देने के लिए संस्कृति का विकास करना : -</u>

i. नागरिक संबंधित सेवाओं के समयबद्ध वितरण में परिषद के कर्मचारी की ओर से चूक को इस उप-विधि में परिभाषित किया गया है जो दूराचरण के प्रति नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उद्देश्य और लक्ष्य के रूप में परिषद के कर्मचारी / जनता को संवेदनशील बनाना है। नागरिकों के प्रति कर्मचारी और नागरिकों के लिए समयबद्ध सेवाएं देने के लिए संस्कृति को बढ़ाना होगा ।

ii. आदतन दोषी के मामले में मुख्य अधिकारी इस आशय की खोज दर्ज करने के बाद उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे, लेकिन दोषी कर्मचारी को सुनवाई का नोटिस और सुनवाई का अवसर देने से पहले नहीं होंगे |

<u>स्पष्टीकरण -</u> इस उप-उपविधि के लिए, परिषद के कर्मचारी को एक वर्ष में पच्चीस से अधिक चूक करने के मामले में आदतन दोषी माना जाएगा।

iii. परिषदों के कर्मचारी की दक्षता को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए मुख्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह परिषद के किसी कर्मचारी के पक्ष में कुल मिलाकर पाँच हजार रुपये प्रतिवर्ष

से अधिक नगद प्रोत्साहन न देने की सिफारिश करे, जिसके विरुद्ध किसी दोषी की रिपोर्ट एक साल में नहीं की जाती है। इस तरह की सिफारिश पर जो सही और उचित हो, मुख्य अधिकारी द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक न हो, साथ ही प्रशंसा पत्र के साथ परिषद् ऐसे प्रोत्साहन को देने के लिए सक्षम होगी |

13. <u>स्वीकार्य सेवा की शर्त</u> - इस उप-विधि के प्रावधानों को सिलवासा नगरपालिका परिषद में परिषद के कर्मचारी की सेवा शर्तों का हिस्सा माना जाएगा।

14. <u>अनुपूरक</u> - इस उप-विधि के प्रावधानों को जैसा कि सिलवासा नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों के लिए लागू होता है और परिषद के कर्मचारी या संबंधित स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की सेवा शर्त और आचरण को विनियम शासी करने और ऐसे सेवा नियमों के लिए अपमानजनक न हो, जैसा भी मामला हो, अनुशासनात्मक और वित्तीय नियमों और इस तरह के अन्य सेवा नियमों और विनियमों के पूरक के रूप में किया जाएगा,

<u>अनुसूची</u>

क्रम सं0.	सेवा का नाम	आवेदन प्राप्ति के पश्चात् सेवा डिलिवरी के लिए कुल दिन	विभाग	कर्मचारी पर आरोपित की जाने वाली लागत प्रति उल्लघंन रुपये
1.	जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना	5 दिन	प्रशासनिक विंग	50/-
2.	निर्माण अनुमति	60 दिन	इंजीनियरिंग विंग	500/-
3.	व्यवसाय प्रमाण-पत्र	45 दिन	इंजीनियरिंग विंग	1000/-

4.	सम्पत्ति का पंजीकरण	7 दिन	प्रशासनिक विंग	100/-
5.	नया पानी कनेक्शन	15 दिन	इंजीनियरिंग विंग	50/-
6.	आय प्रमाण-पत्र	5 दिन	प्रशासनिक विंग	50/-
7.	गरीबी रेखा से नीचे हेतु प्रमाण-पत्र	5 दिन	प्रशासनिक विंग	50/-
8.	कानूनी उत्तराधिकारियों द्द्वरा संपति का हस्तांतरण	60 दिन	प्रशासनिक विंग	500/-
9.	बिक्री द्दारा संपत्ति का हस्तांतरण	10 दिन	प्रशासनिक विंग	50/-
10.	विवाह/समारोह हेतु अस्थायी संरचना अनुमति	10 दिन	इंजीनियरिंग विंग	50/-
11.	किराए पर चलित शौचालय	2 दिन	स्वच्छता विंग	50/-
12.	संपत्ति से घर घर कूड़ा - एकत्रण	2 दिन	स्वच्छता विंग	50/-
13.	गली के कुत्तों को पकड़ना	60 दिन	स्वच्छता विंग	50/-
14.	मृत पशु को उठाना	2 दिन	स्वच्छता विंग	50/-
15.	पशु पकड़ना	60 दिन	स्वच्छता विंग	50/-
16.	हेड केबल नेटवर्क बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र	30 दिन	प्रशासनिक एवं इंजीनियरिंग विंग	500/-
17.	विज्ञापन अनुमति	30 दिन	प्रशासनिक विंग	50/-

18.	टॉवर और ओ एफ सी बिछाने की अनुमति	45 दिन	प्रशासनिक एवं इंजीनियरिंग विंग	500/-
19.	सेप्टिक टैंक खाली करने वाला वाहन	3 दिन	स्वच्छता विंग	50/-
20.	समारोह के लिए डस्टबिन उपलब्ध कराने हेतु	3 दिन	स्वच्छता विंग	50/-
21.	समारोह के लिए पानी टंकी उपलब्ध कराने हेतु	3 दिन	स्वच्छता विंग	50/-

निदेशक की पूर्व सहमति के साथ जारी
(नगरपालिका प्रशासन)

हस्ताक्षरित
मुख्य अधिकारी
सिलवासा नगर परिषद्
सिलवासा

सिलवासा
दिनांक 18/08/2020